Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

वरिष्ठ आर.ए.एस. अधिकारी 5 लाख रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार, रिश्वत देने वाला दलाल भी गिरफ्तार, अधिकारी सेवानिवृति के बाद भी अवैध रूप से राजकार्य करने की एवज में ले रहा था रिश्वत; तलाशी में अकूत सम्पत्ति बरामद

जयपुर 21 नवम्बर। **भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी** ने बताया कि ए.सी.बी. राजस्थान ने **वरिष्ठ आर.ए.एस. अधिकारी प्रेमाराम परमार जो बीकानेर में उप निवेशन विभाग में अतिरिक्त आयुक्त के पद से 30 अक्टूबर को ही सेवानिवृत हुआ था को नहरी भूमि आवंटन के बदले 5 लाख रूपये की रिश्वत** राशि लेते हुये बाड़मेर स्थित अपने आवास से रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है व **रिश्वत देने वाले दलाल नजीर खां निवासी पोकरण जिला जैसलमैर** को भी गिरफ्तार किया गया है।

ए.सी.बी. महानिदेशक श्री सोनी ने बताया कि करीब 1 माह पहले एसीबी की जानकारी में यह आया था कि प्रेमाराम परमार अतिरिक्त आयुक्त नहरी भूमि आवंटन में सेवानिवृति से तुरन्त पहले पौंग बांध विस्थापितों, भूतपूर्व सैनिकों, महाजन फील्ड फायरिंग रेन्ज के विस्थापितों व भूमिहीन किसानों के नाम पर दलालों के मार्फत भूमि आवंटन कर भारी रिश्वत राशि ले रहा है। इस पर **अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन.** के निर्देशन में विभिन्न टीमें गठित की जाकर संदिग्ध अधिकारी पर सतत व सघन निगरानी प्रारम्भ की गई। उसी निगरानी के फलस्वरूप कल देर रात बाड़मेर स्थित प्रेमाराम के निवास स्थान पर प्रेमाराम को दलाल नजीर खां पुत्र श्री कायमदीन मुसलमान निवासी भदड़िया, पुलिस थाना नाचना, तहसील पोकरण, जिला जैसलमैर से 5 लाख रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। रंगे हाथों बरामद की गई राशि के तुरन्त पश्चात ली गई तलाशियों में प्रेमाराम के पास अकूत सम्पत्ति होने के प्रमाण मिले है तथा करीब 20 लाख रूपये नकद भी बरामद हुये है। नहरी क्षेत्र में भू–आवंटन से संबंधित कुछ पत्रावलियां प्रेमाराम के यहां तथा दलाल नजीर खां के पास भी भारी मात्रा में नहरी क्षेत्र भू–आवंटन के दस्तावेज मिले है। प्रेमाराम के जयपुर स्थित आवास से 8 लाख रूपये नकद व सम्पति के दस्तावेज, जोधपुर आवास से 7 लाख 72 हजार रूपये नकद व 15 लाख के स्वर्ण आभूषण व जमीन जायदाद के दस्तावेज, एल. एण्ड टी. कम्पनी में शेयर के दस्तावेज व बाड़मेर आवास से करीब 3 लाख रूपये (5 लाख रिश्वत राशि के अलावा) व 20 लाख के स्वर्ण आभूषण इत्यादि मिले है। प्रेमाराम के जोधपुर आवास सर्च के दौरान बड़ी तादात में विदेशी और महंगी शराब की बोतलें भी मिली है जिस पर थाना बोरानाडा, जोधपुर में आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। जालोर स्थित 36 बीघा फार्म हाऊस के दस्तावेज मिले है एवं अन्य कई अचल सम्पतियों की जानकारी मिली है। अकूत सम्पति मिलने से आय से अधिक सम्पति (डीए) का प्रकरण और दर्ज होने की संभावना है।

अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. ने बताया कि दलाल नजीर खां द्वारा विस्थापितों को बहुत ही कम पैसे देकर उनके नाम पर उपनिवेशन विभाग की मिलीभगत से अच्छी ज़मीन आवंटित करवाकर अपने नाम अथवा अन्य के नाम रजिस्ट्री करवाकर आगे महंगे भाव में बेची जाती थी जो विस्थापित इनके माध्यम से जमीन आवंटित नहीं करवाता था उसे बेकार की बंजर जमीन देरी से आवंटित की जाती थी। एसीबी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। यह कार्यवाही बाड़मेर में एसीबी बीकानेर के यूनिट प्रभारी अति. पुलिस अधीक्षक श्री रजनीश पूनियां, उप अधीक्षक श्री शिवरतन गोदारा व एसीबी मुख्यालय से भेजे गये अधिकारियों श्री राजेश दुरेजा पुलिस निरीक्षक व उनकी टीम द्वारा की गयी है।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं. 1064*** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135–02834*** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।